

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 115/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/324

### अनदान

1. श्री केशुलाल पिता रावा जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

\_\_\_\_\_वादी:

### बनाम

1. श्री जगदीश पिता कालुलाल जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्री जानीलाल पिता कालु जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
3. श्री नारायण पिता गोकुल जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
4. श्री प्रदीप सिंह पिता मानसिंह जी निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
5. श्री बंशीलाल पिता कालु जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
6. श्री दालकिशन पिता नाराण जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
7. श्रीमती गिरजाबाई देवा रामचन्द्र जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
8. श्री गोपाल पिता रामचन्द्र जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
9. श्रीमती कलाबाई पुत्री रामचन्द्र जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
10. श्रीमती जशोदा पुत्री रामचन्द्र जी तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
11. श्री किशन पिता रामलाल तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
12. श्री पुष्कर पिता रामलाल तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
13. श्रीमती पुष्पा पुत्री रामलाल तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
14. श्रीमती कन्वन पुत्री रामलाल तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
15. श्रीमती इन्द्रा पुत्री रामलाल तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
16. श्रीमती आशाबाई पत्नी पपु तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
17. श्री कार्तिक पिता पपु तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
18. श्रीमती किन्जल पुत्री पपु तेली निवासी लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
19. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उम पंजियक भीण्डर जिला उदयपुर राज।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.09.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा लुणदा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	तमान
1	1. केशुलाल पुत्र सवा हिस्सा 1/35 जाति तेली सा देह खातेदार	1361/786	0.06	राजक	0
	2. जगदीश पुत्र कालुलाल हिस्सा 1/35 जाति तेली सा देह खातेदार	785	0.01	रास्ता	0
	3. जानीलाल पुत्र कालू हिस्सा 1/70 जाति तेली सा देह खातेदार				
	4. नारायण पुत्र गोकुल हिस्सा 1/35 जाति तेली सा देह खातेदार				
	5. प्रदीपसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 4/5 जाति राजपुत सा देह खातेदार				
	6. बंशीलाल पुत्र कालू हिस्सा 1/70 जाति तेली सा देह खातेदार				
	7. बालकिशन पुत्र नारायण हिस्सा 1/35 जाति तेली सा देह खातेदार				
	8. गोपाल, कलाबाई, जशोदा पिता रामचन्द्र, गिरजाबाई पत्नी रामचन्द्र हि.ब. हिस्सा 1/35 जाति तेली सा देह खातेदार				
	9. किशन, पुष्कर, पुष्पा, कन्वन, इन्द्रा पिता रामलाल 5/210 हि.ब. कार्तिक, किन्जल पिता पपु, आशाबाई पत्नी पपु 1/210 हि.ब. जाति तेली सा देह खातेदार				
	<b>योग</b>	<b>किता 2</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
2.	1. केशुलाल पुत्र सवा हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा देह खातेदार	781	0.01	प.हि.	0.02
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>
3.	1. जगदीश पुत्र कालुलाल हिस्सा 36/1225 जाति तेली सा देह खातेदार	771	0.02	चा.हि.	0.52
	2. जानीलाल पुत्र कालू हिस्सा 18/1225 जाति तेली सा देह खातेदार	772	0.05	प.हि.	0.10
	3. नारायण पुत्र गोकुल हिस्सा 36/1225 जाति तेली सा देह खातेदार	773	0.25	चा.हि.	6.50
	4. प्रदीपसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 144/175 जाति राजपुत सा देह खातेदार	782	0.01	प.हि.	0.02
	5. बंशीलाल पुत्र कालू हिस्सा 18/1225 जाति तेली सा देह खातेदार	783	0.02	प.हि.	0.04
	6. बालकिशन पुत्र नारायण हिस्सा 36/1225 जाति तेली सा देह खातेदार	784	0.02	प.हि.	0.04
	7. गोपाल, कलाबाई, जशोदा पिता रामचन्द्र, गिरजाबाई पत्नी रामचन्द्र हि.ब. हिस्सा 36/1225 जाति तेली सा देह खातेदार				
	8. किशन, पुष्कर, पुष्पा, कन्वन, इन्द्रा पिता रामलाल 6/245 हि.ब. कार्तिक, किन्जल पिता पपु, आशाबाई पत्नी पपु 7/1225 हि.ब. जाति तेली सा देह खातेदार				
		<b>योग</b>	<b>किता 6</b>	<b>0.37</b>	<b>-</b>

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।